

## अध्यादेश का सारांश

### होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021

- होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 16 मई, 2021 को जारी किया गया। यह अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 में संशोधन करता है। 1973 का एक्ट होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने वाली होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल की स्थापना करता है।
- सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन और पुनर्गठन की समय अवधि:** 2018 में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) एक्ट, 2018 को पारित किया गया था ताकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को सुपरसीड किया जा सके। इसके अतिरिक्त 2018 के एक्ट में
  - केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह एक्ट के लागू होने के एक वर्ष के भीतर सेंट्रल काउंसिल का पुनर्गठन करे। अंतरिम अवधि में केंद्र सरकार को सेंट्रल काउंसिल की शक्तियों के इस्तेमाल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करना था। इसके बाद सेंट्रल काउंसिल के पुनर्गठन की अवधि को दो बार बदला गया (2019 और 2020 में)- इसे पहले एक वर्ष, और फिर तीन वर्ष किया गया।
  - अध्यादेश एक्ट में संशोधन करके, तीन वर्ष की अवधि को चार वर्ष करता है।

**अस्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।